न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार.आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 123/2021

प्रार्थीनी	**बनाम** **विप्रार्थीगण**
मकूदेवी पुत्री लालाराम (माता तुलछी पुत्री खीयाराम) पत्नि केहराराम जाति जाट निवासी सउओं की ढाणी तहसील बायतु जिला बालोतरा	1 माडूदेवी पुत्री लालाराम (माता तुलछी पुत्री खीयाराम) पत्नि मोटाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी समदड़ों का तला, होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 2. हापूदेवी पुत्री लालाराम (माता तुलछी पुत्री खीयाराम) पत्नि नगाराम जाति जाट निवासी होडू तहसील सिणधरी जिला बामेर 3. डाऊदेवी पत्नि वालाराम जाति जाट निवासी जोगासर तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 4. मानीदेवी पत्नि गिरधारीराम जाति जाट निवासी जोगासर 5. शाखा प्रबंधक S-B- । शाखा सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 6. शाखा प्रबंधक B-C-C-B- शाखा सिणार 7. तहसीलदार सिणधरी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री बींजाराम गोदारा, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 से 3 अनुपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 07 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 31.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीनी ने श्रीमानजी के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के समक्ष पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीनी को वाद में सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थी[illegible] प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकार [illegible] पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में मूल खसरा [illegible] रकबा 107.16 बीघा [illegible] खसरा नम्बर 143/4 रकचा 8.1952 हेक्टयर (50.15 बीघा), [illegible]सरा नम्बर 143 रकबा [illegible] (32.00 बीघा), खसरा नम्बर 143/5 रकबा 3. 8832 हेक्टयर (24.00 बीघा) के आये हुऐ है। जो भूमि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में उनके पूर्वज हरखू पत्नि खीया से प्राप्त हुई है। कि वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नम्बर 143 रकबा 430.07

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:14 IST
Reason: SelfAttested

SDO सिणधरी

बीघा पर वक्त सेन्टलमेंट के समय हरखू बेवा खीयाराम जाति जाट का कब्जा काश्त होने के कारण हरखू बेवा खीयाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा हरखू के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 14 के हरखू की जांयदा पुत्रीया तुलछी (प्रार्थीनी की माता), रतनी / स्तु, पनी, बन्नु का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि हरखू के कोई जांयदा पुत्र नहीं था, तत्पश्चात तुलछी, रतनी / स्तु, पनी, बन्नु द्वारा आपसी सहमति से तहसीलदार सिणधरी से बंटवाडा करवाया गया तथा जिस सहमति बंटवाडा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 307 के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जिस बंटवाडे में प्रार्थीनी की माता तुलछी के हिस्से में खसरा नम्बर 143 रकबा 107.16 बीघा भूमि बंट में आई, जो भूमि तुलछी को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई, जिस कारण प्रार्थीनी का वादग्रस्त भूमि में जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया। कि तत्पश्चात प्रार्थीनी की माता तुलछी ने अपने नाम से दर्ज खसरा नम्बर 143 रकबा 107.16 बीघा में से 51.16 बीघा भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 1 को, 32 बीघा भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 3 को तथा 24 बीघा का भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 2 व 4 को वर्ष 2005 में कर दिया अर्थात सम्पूर्ण भूमि यानि प्रार्थीनी के हिस्से सहित समस्त भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बिना प्रार्थीनी की सहमति के कर दिया जो बेचान प्रार्थीनी के 1/4 हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। कि प्रार्थीनी स्व. तुलछी पत्नि लालाराम की जायंदा पुत्री व विधिक उतराधिकारी है तथा प्रार्थीनी स्व. तुलछी पत्नि लालाराम की पैतृक सम्पति में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रार्थीनी का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है तथा प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 हरखू के विधिक वारिशान है तथा प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपने अपने हिस्से में रहवासी ढाणिया आदि बने हुऐ है तथा प्रार्थीनी का अपने हिस्से पर लगातार निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रार्थीनी के पिता लालाराम के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 296 मौजा समदड़ों का तला पटवार क्षेत्र होडू में स्थित थी जिसमें प्रार्थीनी के पितालालाराम के फौत होने पर बाद प्रार्थीनी की माता तुलछी अकेली के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया परन्तु बाद में प्रार्थीनी द्वारा एतराज करने पर प्रार्थीनी को कुल रकबा 80 बीघा 1/4 हिस्से की भूमि रकबा करीब 20 बीघा भूमि दी गई थी जिस कारण वर्तमान में खसरा नम्बर 296 रकबा 1.9012 बीघा व खसरा नम्बर 296/5 रकबा 1.2540 हेक्टयर प्रार्थीनी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीनी स्व. तुलछी की जायंदा पुत्री होने के कारण उसका जन्म के साथ ही अपनी माता के साथ हक हिस्सा हित हो गया था परन्तु प्रार्थीनी की माता तुलछी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी की माता तुलछी ने अपने विधिक हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बेचान कर दिया है तथा अब विप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थीनी को जबरन बेदखल करने तथा ओर भूमि का बेचान करने की धमकियां दी जा रही है। वर्तमान में जमीनों की कीमतों उतरोतर वृद्धि होने के कारण तथा प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में न होने से विप्रार्थी संख्या 1 से 4 लगातार [illegible] काश्त में दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थीनी को उनके कब्जे [illegible] से बे[illegible] करने की धमकियां दे रहा है जबकि प्रार्थीनी का उक्त वा[illegible] [illegible] पैतृक खातेदारी की होने तथा स्व. तुलछी की वि[illegible] संख्या 1 से 4 को प्रार्थीनी के कब्जे काश्त व हिस्से में दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप क[illegible]का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है साथ ही विप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा भूमि का अन्यत्र अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कर दिया जाता है तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में मुद्रा के रूप में सम्भव नहीं है। कि समस्त परिस्थितियों में सुविधा का सतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। अतः प्रार्थीनी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:14 IST
Reason: SelfAttested

SDO सिणधरी

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा लोहिड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में मूल खसरा नम्बर 143 कुल रकबा 107.16 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 143/4 रकबा 8.1952 हेक्टयर (50.15 बीघा), खसरा नम्बर 143 रकबा 5.1776 (32.00 बीघा), खसरा नम्बर 143/5 रकबा 3.8832 हेक्टयर (24.00 बीघा) के संबंध में विप्रार्थीगण व उसके परिवार के सदस्य किसी प्रकार का बेचान, रहन आदि नही करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का नया कच्चा या पक्का निर्माण आदि नही करें व मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीनी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं 1 से 3 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों की भूमि मौजा लोहिड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में मूल खसरा नम्बर 143 कुल रकबा 107.16 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 143/4 रकचा 8.1952 हेक्टयर (50.15 बीघा), खसरा नम्बर 143 रकबा 5.1776 (32.00 बीघा), खसरा नम्बर 143/5 रकबा 3. 8832 हेक्टयर (24.00 बीघा) के आये हुऐ है। जो भूमि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में उनके पूर्वज हरखू पत्नि खीया से प्राप्त हुई है। कि वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नम्बर 143 रकबा 430.07 बीघा पर वक्त सेन्टलमेंट के समय हरखू बेवा खीयाराम जाति जाट का कब्जा काश्त होने के कारण हरखू बेवा खींयाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा हरखू के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 14 के हरखू की जांयदा पुत्रीया तुलछी (प्रार्थीनी की माता), रतनी/रतु, पनी, बन्नू का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि हरखू के कोई जांयदा पुत्र नहीं था, तत्पश्चात तुलछी, रतनी/रतु, पनी, बन्नू द्वारा आपसी सहमति से तहसीलदार सिणधरी से बंटवाडा करवाया गया तथा जिस सहमति बंटवाडा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 307 के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जिस बंटवाडे में प्रार्थीनी की माता तुलछी के हिस्से में खसरा नम्बर 143 रकबा 107.16 बीघा भूमि बंट में आई, जो भूमि तुलछी को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई, जिस कारण प्रार्थीनी का वादग्रस्त भूमि में जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया। कि तत्पश्चात प्रार्थीनी की माता तुलछी ने अपने नाम से दर्ज खसरा नम्बर 143 रकबा 107.16 बीघा में से 51.16 बीघा भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 1 को, 32 बीघा भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 3 को तथा 24 बीघा का भूमि का बेचान विप्रार्थी सं[illegible] को वर्ष 2005 में कर दिया अर्थात सम्पूर्ण भूमि यानि प्रार्थीनी के हिस्से सहित स[illegible] भूमि [illegible] बेचान विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बिना प्रार्थीनी की सहमति के कर दिया [illegible] हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। कि प्रार्थीनी स्व. तुलछी पत्नि लालाराम की जायंदा पुत्री व विधिक उतराधिकारी है तथा प्रार्थीनी स्व. तुलछी पत्नि ल[illegible]राम की पैतृक सम्पति में विप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रार्थीनी का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है तथा प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 हरखू के विधिक वारिशान है तथा प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपने अपने हिस्से में रहवासी ढाणिया आदि बने हुऐ है तथा प्रार्थीनी का अपने हिस्से पर लगातार निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:14 IST
Reason: SelfAttested

आ रहा है। इसी प्रकार प्रार्थीनी के पिता लालाराम के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 296 मौजा समदड़ों का तला पटवार क्षेत्र होडू में स्थित थी जिसमें प्रार्थीनी के पितालालाराम के फौत होने पर बाद प्रार्थीनी की माता तुलछी अकेली के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया परन्तु बाद में प्रार्थीनी द्वारा एतराज करने पर प्रार्थीनी को कुल रकबा 80 बीघा 1/4 हिस्से की भूमि रकबा करीब 20 बीघा भूमि दी गई थी जिस कारण वर्तमान में खसरा नम्बर 296 रकबा 1.9012 बीघा व खसरा नम्बर 296/5 रकबा 1.2540 हेक्टयर प्रार्थीनी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीनी स्व. तुलछी की जायंदा पुत्री होने के कारण उसका जन्म के साथ ही अपनी माता के साथ हक हिस्सा हित हो गया था परन्तु प्रार्थीनी की माता तुलछी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी की माता तुलछी ने अपने विधिक हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बेचान कर दिया है। पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी एवं बंदोबस्त रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक एवं खातेदारी की भूमि है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के आगे से आगे बैचान इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा लोहिड़ा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में मूल खसरा नम्बर 143 कुल रकबा 107.16 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 143/4 रकबा 8.1952 हेक्टयर (50.15 बीघा), खसरा नम्बर 143 रकबा 5.1776 (32.00 बीघा), खसरा नम्बर 143/5 रकबा 3.8832 हेक्टयर (24.00 बीघा) भूमी में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी